पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

क्रमांक / 2230/अका. / 2010 रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर, 2010

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक सोमवार, दिनांक 18.10.2010 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1. डॉ.एस.के.पाण्डेय, कुलपति -- अध्यक्ष
2. प्रो.(श्रीमती) प्रोमिला सिंह - सदस्य
3. प्रो. अब्दुल अलीम खान - सदस्य
4. प्रो. आर.पी. दास -- सदस्य
5. प्रो. ए.के. पति -- सदस्य
6. प्रो. विभूति राय -- सदस्य
7. प्रो शैलेन्द्र कुमार सिंह -- सदस्य
8. डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला -- सदस्य
9. डॉ.एस.के.मुखर्जी -- सदस्य
10. डॉ.उज्जवल पाटनी -- सदस्य
11. श्री देवजी भाई पटेल -- सदस्य
12. श्री रामजी भारती -- सदस्य
13. श्री कुलदीप सिंग जुनेजा -- सदस्य
14. डॉ. शिवकुमार डहरिया -- सदस्य
15. श्री के.के.चन्द्राकर, कुलसचिव -- सचिव

बैठक प्रारंभ होने के पूर्व माननीय कुलपति महोदय ने सभी सदस्यों को विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए कार्यसूची पर चर्चा प्रारंभ की।

कार्यवृत्त :

विषय क्रमांक -1

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 10.09.2010 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 10.09.2010 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान की गई। इसी के साथ कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 10.09.2010 में अध्यक्ष की अनुमति से लिए गए निर्णय के बिंदु क्रमांक--4(7)-- कुलपति जी द्वारा अग्रिम राशि वसूली एवं समायोजन के संबंध में अन्य अग्रिम के विरूद्ध शेष बकाया राशि रु. 18,83,777.00 (जिन्होंने अग्रिम का हिसाब प्रस्तुत नहीं किया गया है) से समस्त सदस्यों को अवगत कराया। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि :

1. अग्रिम के समायोजन हेतु हिसाब प्रस्तुत नहीं करने पर प्रतिमाह वेतन से कटौती के लिए राशि निर्धारित कर वसूली किया जाय।
2. वेतन के अलावा अन्य एकमुश्त देय राशि से भी वसूली किया जावे।

3. अन्य अग्रिम प्रदान नहीं किया जावे।
4. अन्य एजेंसी से ऋण के लिए स्वीकृति आवेदन अग्रेषित नहीं किया जावे।
5. जिन्होंने अग्रिम का समायोजन हेतु हिसाब जमा कर चुके हैं, उनके समायोजन कर संबंधित को जानकारी प्रदान किया जावे।
6. कटौती करने के पूर्व वित्त विभाग रिकार्ड से पुष्टि अवश्य करें।

विषय क्रमांक 2

74 विदेशी शोध पत्रिकाओं वर्ष 2010 के लिए अग्रिम चंदा (subscription) राशि रुपए 21,60,404.56 (+बैंक ड्राफ्ट कमीशन) M/s Total Library Solution India Pvt.Ltd.New Delhi को भुगतान स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः वर्ष 2010 के लिए विदेशी शोध पत्रिका क्रय की कार्यवाही ग्रंथालय विभाग से करने के उपरांत कुलपति महोदय द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति के द्वारा "M/s Total Library Solution India Pvt.Ltd.New Delhi" से शोध पत्रिका क्रय करने हेतु की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया गया। विदेशी शोध पत्रिकाओं के क्रयार्थ राशि रु. 21,60,404.56 (+ बैंक ड्राफ्ट कमीशन) के अग्रिम चंदा भेजे जाने हेतु एवं भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–3

बायोसाइंस अध्ययनशाला की इम्प्रेस्ट राशि रु. 10,000/– से बढ़ाकर रु. 20,000/– किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः बायोसाइंस अध्ययनशाला के इम्प्रेस्ट राशि रु. 10,000/– से बढ़ाकर रु. 20,000/– किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–4

स्व. मयंक राजपूत की स्मृति में एम.एस–सी. कम्प्यूटर साइंस में स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने तथा राशि रु. 50,000/– विश्वविद्यालय कोष में जमा किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः स्व.मयंक राजपूत की स्मृति में एम.एस–सी. कम्प्यूटर साइंस में स्वर्ण पदक प्रदान किए जाने की अनुमति एवं विश्वविद्यालय कोष में निर्धारित राशि रुपए 50,000/– (रुपए पचास हजार मात्र) जमा किए जाने की सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक–5

विश्वविद्यालय के 07 शिक्षकों (प्रोफेसर, रीडर एवं व्याख्याता) के परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय के निम्नलिखित शिक्षकों को परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान करने हेतु अनुमोदन किया गया।

क्र.	नाम एवं पद	पदभार ग्रहण तिथि	परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने की तिथि
1	डॉ.एस.के.जाधव, प्रोफेसर जैवप्रौद्योगिकी	26.09.2008	26.09.2010
2	डॉ.बी.एस.ठाकुर, रीडर, गणित	15.09.2008	15.09.2010

3	श्री नंदकुमार चक्रधारी, व्याख्याता भौतिकी	12.05.2008	12.05.2010
4	डॉ.कमलेश कुमार शुक्ला, व्याख्याता, जैवप्रौद्योगिकी	15.09.2008	15.09.2010
5	डॉ.अफाक कुरैशी, व्याख्याता, जैवप्रौद्योगिकी	15.09.2008	15.09.2010
6	डॉ.(श्रीमती) मंजू सिंह, व्याख्याता फार्मेसी	14.10.2008	14.10.2010
7	श्री अम्बर व्यास, व्याख्याता, फार्मेसी	14.10.2008	14.10.2010

विषय क्रमांक–6

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 49 एवं अन्य धाराओं में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिसूचना क्रमांक एफ 3-1/2009 दिनांक 30 जून, 2010 रेगुलेशन 2010 के अनुसार संशोधन करने के संबंध में:

निर्णय: छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 49 एवं अन्य धाराओं में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिसूचना क्रमांक एफ 3–1/2009 दिनांक 30 जून, 2010 रेगुलेशन 2010 के अनुसार प्रस्तावित संशोधन करने हेतु अनुमोदन किया गया।

पूरक सूची :

विषय क्रमांक-1

शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार के लिए रु. 25000/– के स्थान पर अनुग्रह राशि रु. 35000/– किये जाने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग, दाउ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय–रायपुर के वित्त निर्देश 36/2010 क्रमांक 304/सी–30974/वित्त/नियम/4/2010, रायपुर, दिनांक 30 सितंबर, 2010 को अंगीकृत करते हुए छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत वेतन प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों को चार माह के मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन) के बराबर अनुग्रह अनुदान, रुपए 35,000/– (रुपए पैंतीस हजार मात्र) अधिकतम की सीमा के अधीन, की पात्रता होगी, का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक–2

विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 27 प्रतिशत के स्थान पर दिनांक 01.10.2010 से 35 प्रतिशत प्रदाय किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर के वित्त निर्देश 38/2010 क्रमांक 318/754/वित्त/नियम/चार/2010 दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 को अंगीकृत करते हुए छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में नियम वेतन संरचना के अंतर्गत वेतन प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 27 प्रतिशत के स्थान पर दिनांक 01.10.2010 से 35 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्रदान करने का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक–3

डॉ. हेमन्त शर्मा, उच्च वर्ग लिपिक–2 के आवेदन पत्र दिनांक 26.07.2010 (लेखापाल पद नाम एवं दो अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने के संबंध में) विचार करना।

निर्णयः प्रकरण कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्रमांक–4

सेवानिवृत्त पटवारी को विश्वविद्यालय भू–अर्जन के सीमांकन कार्य के लिए विश्वविद्यालय के सेटअप में स्वीकृत रिक्त कार्टोग्राफर नइ के विरूद्ध पेंशन माइनस वेतन पर नियुक्त किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः सेवानिवृत्त कर्मचारी को विश्वविद्यालय के भू–अर्जन के सीमांकन कार्य के लिए पेंशन माइनस वेतन पर एक–एक माह के लिए अधिकतम छः माह तक स्वीकृति प्रदान करते हुए संबंधित कार्य पूरा करने के लिए अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक–5

बी.ई. 01 से 08 सेमेस्टर ए.आई.सी.टी.ई. एवं न्यू कोर्स परीक्षायें आयोजित किये जाने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णयः दिनांक 05.10.2010 को इंजीनियरिंग डिग्री के पूर्व छात्रों की ए.आई.सी.टी.ई. एवं न्यू कोर्स परीक्षाएं अंतिम बार आयोजित करने के संबंध में समिति की अनुशंसा अनुसार आगामी कार्यवाही करने हेतु अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से,

विषय क्रमांक : 1

छत्तीसगढ़ शासन के सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 लागू किये जाने के संबंध में।

निर्णय :

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर के द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम 2010 क्रमांक 307/10/वित्त/नियम/चार/2010 रायपुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2010 को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया।

/

विषय क्रमांक–2

डॉ. शम्स परवेज, रीडर, रसायन अध्ययनशाला, को फेलोशीप हेतु कर्तव्य अवकाश प्रदान करने बाबत।

निर्णय :

डॉ.शम्स परवेज, रीडर, रसायन अध्ययनशाला, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को Desert Research Institute, Reno,Nevada, USA में दिनांक 10.01.2011 से 20.05. 2011 तक आयोजित award of Fulbright Nehru Environmental Leadership Program Fellowship में सम्मिलित होने हेतु दिनांक 10.01.2011 से 20.05.2011 तक अवकाश सुविधा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित प्रदान की गई। इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि शासन की जानकारी में भी लायी जाय।

विषय क्रमांक–3

डॉ. एस.सी.नैथानी, प्रोफेसर, जैविकी अध्ययनशाला को बी.ई.सी. फर्टीलाईजर कार्पोरेशन, बिलासपुर में कन्सलटेंसी के लिए अनुमति दिए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : डॉ.एस.सी.नैथानी, प्रोफेसर, जैविकी अध्ययनशाला को बीईसी फर्टीलाइजर्स, बिलासपुर में कंसल्टेन्सी हेतु विश्वविद्यालय परिनियम 31 की कंडिका 07 (बी) (01) के प्रावधानानुसार उन्हें प्राप्त होने वाली फीस की 50 प्रतिशत राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा करने की शर्त पर अनुमति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–4

पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा 2010 के लिए मानदेय निर्धारण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना।

निर्णय :

पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा के संबंध में मानदेय निर्धारण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा के पश्चात् निम्नानुसार अनुमोदन किया गया।

1. पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा हेतु बनाये जाने वाले प्रश्न–पत्र में प्रति प्रश्न के लिए मानदेय रुपए 50.00 पारिश्रमिक देय होगा।
2. प्रवेश परीक्षा कार्य हेतु परीक्षा के दौरान वीक्षकीय कार्य करने वाले वीक्षकों हेतु पारिश्रमिक रुपए 100.00 प्रति पाली देय होगा।
3. पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा के समन्वयक को प्रवेश परीक्षा हेतु यू.जी.सी./नेट के नियमानुसार निम्न पारिश्रमिक देय होगा–
   छात्रों की संख्या 1000 से कम होने पर रुपए 2000.00 प्रतिमाह
   छात्रों की संख्या 1000 से 5000 होने पर रुपए 3000.00 प्रतिमाह
4. मूल्यांकन हेतु प्रति उत्तरपुस्तिका पारिश्रमिक रुपए 20.00 देय होगा।

विषय क्रमांक–5

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा महिला अध्ययन केंद्र की स्थापना की स्वीकृति की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक F 7-10/2010 (WS) dated August 20, 2010 के द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन केंद्र की स्थापना के लिए दी गई स्वीकृति का सूचना ग्रहण किया गया।

विषय कमांक–6

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ, रायपुर एवं पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, रायपुर की मांग–पत्र के संबंध में विचार करना।

निर्णय :

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ रायपुर के पत्र कमांक 69 दिनांक 13.10.2010 के संदर्भ में कार्यपरिषद सदस्यों को अवगत कराया गया तथा यह जानकारी दी गई कि पूर्व में कार्यपरिषद में लिए गए निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है। इसकी सूचना कर्मचारी संघ को भी दी गई है।

इसी प्रकार पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ रायपुर के पत्र कमांक 3/2010 दिनांक 14.10.2010 के संबंध में भी कार्यपरिषद सदस्यों को अवगत कराया गया तथा निर्णय लिया गया कि जिन मांगों का संबंध शासन से है, इस संबंध में शीघ्रताशीघ्र पत्र भेजकर आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जावे तथा जिन बिंदुओं पर विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यवाही होना है, विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाय।

विषय कमांक–7

श्री देवजी भाई पटेल, माननीय सदस्य, विश्वविद्यालय कार्यपरिषद का पत्र दिनांक 14.10.2010 के संबंध में ।

निर्णय :

माननीय कार्यपरिषद सदस्य श्री देवजी भाई पटेल द्वारा पत्र कमांक 339 दिनांक 14.10.2010 में श्री हरजीत सिंह चावला, एलएलएम द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा नवंबर, 2009 एवं श्री सौरभ मिश्रा, बी.जे.एम.सी. मार्च–अप्रैल, 2010 के संबंध में षड़यंत्रपूर्वक पुनर्मूल्यांकन कराया जाकर उनके परीक्षा परिणाम प्रभावित करने संबंधी प्रस्तुत पत्र पर चर्चा हुई एवं निर्णय लिया गया कि नियमानुसार अविलंब कार्यवाही कर संबंधित को अवगत कराया जावे।

विषय कमांक–8

डॉ.मनीष राय, रीडर, रसायन अध्ययनशाला, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के द्वारा दायर याचिका के संबंध में।

निर्णय :

डॉ.मनीष राय, रीडर, रसायन अध्ययनशाला, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के द्वारा दायर याचिका कमांक 2105/2010 के संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेश दिनांक 03/05/2010 में हुए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इसके बाद इस प्रकरण में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा हुए आदेशानुसार आगामी कार्यवाही हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक / 2231 / अका. / 2010 रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर, 2010

प्रतिलिपि

1. महामहिम कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्य,
3. समस्त विभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि विभाग से संबंधित निर्णयों का पालन प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करने का कृपया कष्ट करें।
4. जनसंपर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण / वित्त नियंत्रक
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक,

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)